

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023—श्रावण 13, शक 1945

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र. 1260-डूडा-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. UDH-12-2022-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 9 मई 2023 से प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, सागर जिले की खुरई ब्लॉक की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए बरोदिया नोनगर नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है तो राजपत्र में इसी अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

नगर परिषद्, बरोदिया नोनगर गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम:—

स.क्र.	जिले का नाम	विकासखंड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सागर	खुरई	बरोदिया नोनगर	बरोदिया नोनगर	1. बरोदिया नोनगर	981.37
2				तोडाकाछी	2. तोडाकाछी	1135.61
3				बम्होरी नवाब	3. बम्होरी नवाब	874.21

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					4. कुदरू 5. उरदौना	
4			मझेरा		6. मझेरा 7. जमुनिया बाजिद खाँ 8. कचनोदा 9. बैरागढ़	1253.96
5			कोरासा		10. कोरासा 11. असोली 12. ग्वारी	2258.81
6			एचनवारा		13. एचनवारा 14. वेचनवारा 15. गजर 16. खडाखेड़ी	1108.98
7			सिलापरी		17. सिलापरी 18. महुना कायस्थ	566.49
8			करैया गूजर		19. करैया गूजर 20. भूसा	902.98
9			बिलैया		21. बिलैया 22. झारई	970.10
10			कठैली		23. कठैली 24. शब्दा	1037.93
			योग	10	24	11090.44

दीपक आर्य, कलेक्टर.

Sagar, the 28th July 2023

S. No. 1260-Duda-2023.—Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as per the approval from the Order No. UDH-12-0005-2003-XVIII-3, Bhopal, dated 21st July 2023 of the Government of Madhya Pradesh, Department of Urban Development and Housing, Ministry of Bhopal in exercise of the powers conferred under (1), the transitional area, including the local area shown in the following schedule within the limits of Khurai block of Sagar district, Barodiya Nonagar municipality is initially notified for the formation of amended tax. If the local authority having jurisdiction of the included areas shown in the schedule or any person residing in it has any objection regarding any issue contained therein, then within 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette, his written objection/suggestion should be submitted to the Collector, District Sagar, can be presented to any kind of objection will not be valid after the time period, which will be considered by the State Government.

Revenue villages to be included in the formation of Nagar Parishad Barodiya Nonagar:—

No.	Distt.	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urban areas	Included Villages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sagar	Khurai	Barodiya Nonagar	Barodiya Nonagar Toda Kacchi	1. Barodiya Nonagar 2. Toda Kacchi	981.37 1135.61

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3				Bamori Nawab	3. Bamori Nawab 4. Kurud 5. Urdona	874.21
4				Majhera	6. Majhera 7. Jamuniya wajidkhan 8. Kachnoda 9. Bairagarh	1253.96
5				Korasa	10. Korasa 11. Asoli 12. Guwari	2258.81
6				Achanwara	13. Achanwara 14. Beichanwara 15. Gajar 16. Khadakhedi	1108.98
7				Silapari	17. Silapari 18. Mahuna kayastha	566.49
8				Karaiya Gujar	19. Karaiya Gujar 20. Bhusa	902.98
9				Bilaiya	21. Bilaiya 22. Jharai	970.10
10				Kathaili	23. Kathaili 24. Shabdah	1037.93
				Total . . 10	24	11090.44

DEEPAK ARYA, Collector.